

v 859595

क्रि.संख्या 1470/0808 वर्ष 19.....

किससे प्राप्त हुआ कृष्णा डी. एम. मंडल लि. का
हरिनोम मंडल, एम. नरसिमा, मो. नरसिमा -
विश्व मंदिरा, अमरावती, काठमांडू

कोष सभा मुंबई 2014 हेतु योगदान अर्पित की जाति अका

₹ 25,000/-

नाम

पता के रूप में

₹ 25000/-

मो. नरसिमा डी. एम. मंडल लि.
(किससे प्राप्त हुआ) (किससे प्राप्त हुआ)



दिनांक 2/4/14

प्राप्त करनेवाला प्रमाणिका सं.
2/4/14
विश्व मंदिरा, अमरावती

अनुरोध पत्र

लोकसभा चुनाव, 2014 नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सम्पर्क विवरणी

1. लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या :- 11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ।
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम :- कन्हैया मंडल
3. लिंग :- पुरुष
4. उम्र :- 38 वर्ष
5. दल संबद्धता :- निर्दलीय
(राजनीतिक दल से भिन्न अभ्यर्थी के लिये निर्दलीय अंकित करें)
6. शहर/जन्म स्थल :- ग्राम - नवरसिया, पो० - चौकुचामा, अमदावाद, कटिहार
कृपया सम्पर्क विवरणी नीचे दर्ज करें
7. पूर्ण पता :- ग्राम - नवरसिया, पो० - चौकुचामा, अमदावाद, जिला - कटिहार
8. लैण्डलाइन फोन नं० :- शून्य
9. मोबाईल नं० :- 8877914806, 8809220945
10. ई-मेल का पता :- शून्य
(यदि हो)
11. वेबसाईट का पता :- शून्य
(यदि हो)

कन्हैया मंडल

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिये निर्वाचन
नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें
भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के
रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम
..... उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा
निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या पर
प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक
नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।

तारीख :

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

38 / 11/11/2014
 P.C-2014
 5/4/14
 2:15 P.M

भाग - 2

(नान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अन्त्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 11-करिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अन्त्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं ।

अन्त्यर्थी का नाम करिहार मेहन

पिता/माता/प्रति का नाम इरिचोल मेहन

उसका ठाक पता ग्राम-नवरसिया पो-चौकभामा, जिला-कटिहार

67 अन्वित

उसका नाम 11- करिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 182 में क्रम संख्यांक 25 पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	मनिहारी	182	769	विश्वरूप मेहन	विश्वरूप मेहन	05-04-14
2	मनिहारी	183	13	कृष्ण कुमार मेहन	कृष्ण कुमार मेहन	05-04-14
3	मनिहारी	181	389	अनवरत सिंह	अनवरत सिंह	05-04-14
4	मनिहारी	181	490	अमर चौधरी	अमर चौधरी	05-04-14
5	मनिहारी	181	615	रुचिका सिंह	रुचिका सिंह	05-04-14
6	मनिहारी	181	374	हरी मिश्र चौधरी	हरी मिश्र चौधरी	05-04-14
7	मनिहारी	181	763	श्याम नारायण सिंह	श्याम नारायण सिंह	05-04-14
8	मनिहारी	182	667	रविशंकर कुमार मेहन	रविशंकर कुमार मेहन	05-04-14
9	मनिहारी	182	71	अरुण कुमार मेहन	अरुण कुमार मेहन	05-04-14
10	मनिहारी	185	704	अमर प्रसाद चौधरी	अमर प्रसाद चौधरी	05-04-14

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग - 3 "क"
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

उक्त अभ्यर्थी को :-

- (I) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
(II) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित
किया गया है

हाँ/नहीं

यदि उत्तर हाँ में हैं, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ३५५
(II) पुलिस थाना (थाने) ३५५
जिला (जिले) ३५५
राज्य ३५५
(III) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,
जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ३५५
(IV) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) ३५५
(V) यह (ये) न्यायालय जिसने (जिनहोंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ३५५
(VI) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें ३५५
.....
(VII) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ३५५
(VIII) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे :
हाँ / नहीं ३५५

(IX) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टता एवं तिथि :- शून्य

(X) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (कें) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे - शून्य

(XI) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लम्बित है शून्य

(XII) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शून्य

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति शून्य

स्थान - काठिंडार

तारीख - 05.04.14

कमलेश्वर मेडल

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग - 4
(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० 38/11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
यह नामनिर्देशन मुझे/हैंरे कार्यालय में 05.04.2014 (तारीख) को 2:15 PM (बजे)
अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

स्थान :- कटिहार
तारीख :- 05.04.14


Assistant Returning Officer
(रिटर्निंग आफिसर)-P.C.

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग - 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय
मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ। :-

स्थान :-

तारीख :-

(रिटर्निंग आफिसर)

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क))

(संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं कन्हैया शंभुल जो संसदीय निर्वाचन में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्देशित हुआ हूँ * ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा ।

कन्हैया शंभुल

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

श्री/श्रीमती कन्हैया शंभुल ने आज दिनांक 05 माह 04 2014 को निर्वाचनी परामर्श कक्षा (स्थान) पर 2.30 P.M. बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया ।

05/14
Assistant Returning Officer
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम पदनाम और मुहर ।

"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, ENDS & PROHIBITION DEPT.
KATHIHAR SCORE, KATHIHAR

भारत

STAMP DUTY

बिहार

JUDICIAL

00000

Rs. 0000020

22.12.2014

374139

BIHAR

3055 4015989

INDIA

Zero Zero Zero Zero Zero



07
05/4/14

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 11- कटिहार लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं कन्हैया मंडल **पुत्र/पुत्री/पत्नी हरिबोस मंडल
आयु वर्ष, जो ग्राम - नवरसिमा, पोस्ट - चौकचागा,
थाना - रामशावाह, जिला - कटिहार

Umesh Lal Yadav
Notary
Civil Court, Khatwa

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं निरेलम (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 67- अतिथी किल्ला, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 182 के क्रम सं 25 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं 8877914806 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

कन्हैया मंडल



क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं कन्हई मंसल	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी एसादेवी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1 शिवा उमा	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2 शिवाली कुमारी	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3 मिथाल कुमारी	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(क) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	शून्य

कन्हई मंसल



Umesh Lal Yadav
Notary
Civil Court, Katihar

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
(पूर्वोक्त)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादेश दिया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिसोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य

कच्छई मंस्ल



Umeshi Lal Yadav
Notary
Civil Court, Kathar

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आश्रितियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आश्रितियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आश्रितियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।



Umesh Lal Yadav
Notary
Civil Court, Kathua

क्र. सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	21000/-	16000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	संलग्न के तहत स्टेटमेंट 30/04/2016 234486688 2677/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कमल मंडल

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही दितीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (भेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	23,677/-	56,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कन्स्ट्रक्शंस

	विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	500 0000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Umeshi Lal Yadav
Notary
Civil Court, Kathua

कलहाई गडल

	क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल घालू बाजार मूल्य	5,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यारों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कानूनी मंजूर



	घनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध					
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(9) या उपजीविका के ब्यारे :

(क) स्वयं रूपरु

(ख) पति-या पत्नी शुभम

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

ब.ए. आर - मिडिल स्कूल नॉर्सिमा, अमदावाद

B.L. Yadav
Notary Public
Govt. of Bihar, India

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय के ब्यारे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारा दें)

कच्छई मंडल

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं कन्हैया देवी				
2	डाक का पता	ग्राम नौलीया, पोस्ट चौड़वाड़ा जिला कच्छ				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	11 - कच्छ लोक सभा, विहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	निर्दलीय				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिला)	शून्य				
	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शात आय		
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (सूच्य में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	23,677/-	56,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	5,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कन्हैया देवी

NOTARY
U. L. YADAV
KATHWAR
Notary
Civil Court, Kathwar

	i.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	iii.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वर्जित आस्तिया (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तिया (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादधीन है	शून्य				
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : <u>बर्ष 2016</u>					
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

कमलेश मिश्रा



Umeshi Lal Yadav
Notary Public
Civil Court, Karnal

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग भ्रिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 05-11-2014 को सत्यापित किया गया।

Identify by
Umesh Lal Yadav
Adv.
15/10/2014
E.No - 32/2013

Deponent: Kanhai Mandal
Who is identified by: Mr. N. Kumar
Advocate Sokman Affirmed
and declared before me:

कन्हैया मंडल
अभिसाक्षी

Umesh Lal Yadav
NOTARY PUBLIC

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याये है/हैं _____ 202

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है _____ 204

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है _____ 8572914806, 8809220945

Check List of Documents in Connection with filing of nomination

Name of Constituency 11- Katihar
 Name of the candidate ~~Hari Prasad Prasad~~ Kanah Mandol
 Date and time of filing nomination paper 05-04-14
 Sl. No. Of nomination Paper 38

Sl. No.	Documents	Whether filed (write yes/no) (if there is any defect/short coming in the documents, the same should be specified)
1	Affidavit in form 26 (a) Whether all columns are filled up (b) If not, which are blank column (s) [Please specify] (c) Whether the affidavit is sworn before an oath commissioner or Magistrate of First Class or before a notary Public.	yes. yes. N/A yes.
2	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency)	N/A
3	Forms A and B (applicable in the case of candidates set up by political parties.)	N/A
4	Copy of caste certificate from competent authority (if the candidate claims to belong to SC/ST)	N/A
5	Security deposit (whether made)	yes.
6	Oath/affirmation (Whether taken)	yes.

The Following documents which have not been filed should be filed as indicated below :

- (a) _____ Should be filed latest by _____
 (b) Above mentioned columns in the affidavit in form 26 have been left blank. You must submit a fresh affidavit with columns duly filled up before the commencement of scrutiny of nominations, failing which the nomination paper will be liable to be rejected.
 (c) _____ should be filed latest by _____

Received.

[Signature]

(Signature of Candidate)

[Signature]

Assistant Returning Officer
 Signature: [Signature]

(Signature)

Date & Time: 05-04-14

Place Katihar

N.B.

- The Affidavit in Form 26 and Form A&B have to be filed latest by 3.00 P.M. on the last date of filing nominations.
- The nomination paper will be rejected if a candidate fails to fill the blanks in Form 26 even after reminder by RO by the hour fixed for scrutiny of nomination paper.
- Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.
- certified extract of electoral roll can be filed up to the time of scrutiny.
- Security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing notice for making the security deposit.
- If the columns in the affidavit are blank and incomplete the candidate should file an affidavit complete in all respects instead of filing an affidavit in respect of only the blank columns and the second affidavit which be the complete one will be disseminated through the web site.

कार्यालय, निर्वाची पदाधिकारी,
11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कटिहार

ज्ञापांक 50 / ना.नि.को. दिनांक 05/04/19

प्रेषित : कन्हाई मंडल,

अभ्यर्थी, 11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,

बजरीये नोटिस सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पत्र के साथ बैंक खाता संख्या आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो आवश्यक है।

अतः आज ही बैंक खाता संख्या कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कन्हाई मंडल

05/04/19

कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी,
11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
Assistant Returning Officer
11-Katihar-P.C.
जिला पदाधिकारी, कटिहार
34 नवम्बर 2019

ज्ञापक संख्या 49 दिनांक 05/04/14

आज 11-वर्षीय राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर से प्रतीक आवंटन के संबंध में सूचना प्राप्त हुआ।

स्थान कटिहार

दिनांक 05/04/14

कन्हैया मंडल

अभ्यर्थी या प्रस्थापक के हस्ताक्षर